

(117) (196) (10)

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी गोरखापुर
संख्या 569/वि० भू० अ० अ० / गोरखापुर दिनांक 26/1/87
अधिकार निर्णय पत्र

स्थाह भूमि अध्याप्ति बस्तु ग्राम मनहट तप्पा व परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखापुर में सुनियोजित विकास योजना के अधीन गोरखापुर विकास प्राधिकरण द्वारा गोरखापुर जिले में रामगढ़ ताल के तृतीय चरण हेतु भावन पार्क एवं बन्धों के अधिसूचना के लिए आवश्यकता है जो सचिव गोरखापुर विकास प्राधिकरण गोरखापुर द्वारा अध्याप्ति की जा रही है और उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग -5 के अधिसूचना संख्या 844/11-5-87 -7-86 एत० ए० 86 तलानउ 21 फरवरी 1987 के अन्तर्गत धारा 6 मया 7811 भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अधीन यह निर्णय किया जाता है कि उक्त भूमि का अधिकार जो इस पत्र के सहा सलग्न सूची में लिखा हुआ है और जिसका क्षेत्रफल 132=1 एकड़ (अ. से. व. सी. 85 ए. से. 85) आ/र है

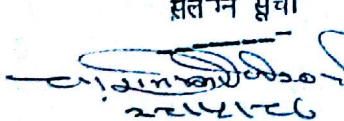
इस पर अधिकार मैंने आज दिनांक 28-5-87 को प्राप्त किया जोगाम मनहट परगना वतप्पा हवेली तहसील सदर जिला गोरखापुर में स्थित है और उसे सचिव गोरखापुर विकास प्राधिकरण गोरखापुर को आज दिनांक को कब्जा हस्तान्तरित किया गया।

अति आवश्यक

कब्जा प्राप्त

हृदय देश में खाद्यान्न की स्थिति गंभीर है इसलिए खाड़ी फसल को क्षति कब्जा लेते समय न में हवा दे जाय तथा उसे कार्रकारी को पकने पर काटने दिया जाय जिसने बोया है। यदि किसी विशेष स्थिति में ऐसा करना सम्भव नहो और खाड़ी फसल का कब्जा लेने वाला विभा फसल की पूरी किमत फसल के मालिक को अदा कर दे।

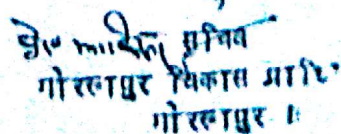
सलग्न सूची


22/5/87

तहसीलदार
गोरखापुर।

सलग्न सूची में लिखा हुआ भूमि पर अधिकार मेरा है। इसी एडवन्टी में सामने हुई और सरहद में दिखाने गह है। मेरा इस स्थिति में अनुसार है और क्षेत्रफल जोड़ने पर इस गांव कर बकाया 132=1 होता है।

सलग्न:-


गोरखापुर विकास प्राधिकरण
गोरखापुर।